न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 21/2016 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. नाथूलाल पुत्र स्वर्गीय नंदलाल जी जोशी, निवासी डूंगरा छोटा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. रतनलाल पुत्र स्वर्गीय नंदलाल जी जोशी, निवासी डूंगरा छोटा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती हेमतला बाई पत्नी स्वर्गीय मोहनलाल जी जोशी, निवासी डूंगरा छोटा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र स्वर्गीय नंदलाल जी जोशी, निवासी डूंगरा छोटा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. जगदीशचन्द्र पुत्र स्वर्गीय नंदलाल जी जोशी, निवासी डूंगरा छोटा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भूमिधारी तहसीलदार सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा प्रतिनिधि राजस्थान सरकार

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़
दिनांक 28.05.2016, प्र.सं. 08/2016

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री डी. के. निगम अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1
3– राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4

———::———

निर्णय **दिनांक 11–12–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53,

88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डूंगराछोटा में कृषि आराजी संख्या 277/7 रकबा 0.12 एकड भूमि स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैत्रृक होकर मालिक काबिज हैं। मूलपुरूष नंदलाल जी होकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उसके वारिस हैं। प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का सगा भाई होकर वर्ष 1992 से गांव छोडकर कुंवारा ही फरार होकर कानूनी तौर पर फोत है, जिससे वादग्रस्त आराजियात में वादीगण प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है एवं पक्षकारान इसी अनुसार काबिज हैं। अतः वादग्रस्त भूमि का उपरोक्तानुसार विभाजन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 28–05–2016 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 03–08–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण दिनांक 25–05–2016 को न्यायालय गये तो उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गयी, दिनांक 09–07–2019 को पुनः जानकारी प्राप्त करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री डी. के. निगम उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

जहां तक दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन का प्रश्न है, प्रकरण राजस्व कैम्प में रखे जाने की सूचना अपीलान्टगण को दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः न्यायहित में एवं प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना सूचना दिये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया है, जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को साक्ष्यों के अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण दिनांक 07–04–2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 25–05–2016 नियत की गयी, किन्तु इसके स्थान पर प्रकरण दिनांक 28–05–2016 को राजस्व कैम्प में रखा जाकर प्रथम पेशी पर ही बिना प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये एवं बिना सूचना दिये निर्णय पारित कर डिक्री जारी कर दी गयी है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–05–2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11–02–2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

चुनिया पिता दिपा, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **दिता पिता हड़िया, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**59 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सज्जनगढ़** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....22**.....माह.....**07**.....**2003**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**....माह.....**.10**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दिलीप त्रिवेदी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री नन्दलाल पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–07–2003 यथावत रखी जाती है। .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**.22**.....माह.....**.10**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.03 12:29:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: